पुस्तकों के चयन के लिए दिशा-निर्देश

पुस्तकों के केन्द्रीय चयन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों, जिला पुस्तकालयों एवं समय-समय पर प्रतिष्ठान द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप ऐसे ही अन्य सार्वजनिक पुस्तकालयों को हिन्दी एवं अंग्रेजी में उपयुक्त पठन सामग्री से सहायता देना है, जिनकी साधारणत: ऐसे पुस्तकालयों द्वारा खरीदारी नहीं की जाती है। देश में प्रकाशित असंख्य पुस्तकों में से सर्वोत्तम पुस्तकों का चयन करना इस योजना का लक्ष्य है, जो प्रतिष्ठान का उद्देश्य है। इसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालयों और इसके व्यवहारकर्ताओं की आवश्यकता को ध्यान में रखना। पुस्तक चयन चक्र में प्रत्येक स्तर पर यह भी ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि राजा राममोहन राय के सुधारवादी विचारों पर पुस्तकें हों।।

नियम

1. योजना के अन्तर्गत पुस्तकों के चयन के लिए अध्यक्ष महोदय के द्वारा एक पुस्तक चयन समिति गठित किया जायेगा, जिसमें सदस्यों की संख्या 9 से अधिक नहीं होगी, जैसा वे उपयुक्त समझें।

2. प्रतिष्ठान के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित व्यक्ति पुस्तक चयन समिति का अध्यक्ष होगा।

3. पुस्तकों का प्रारम्भिक रूप से चयन करने के लिए अध्यक्ष एक अथवा दो उप समितियों का गठन कर सकते हैं।

4. उप-समितियाँ एवं पुस्तक चयन समिति की बैठक कितनी ही बार आवश्यक होने पर होगी।

5. पुस्तक चयन समिति में मत के भिन्न होने के मामले में विषय का निर्णय अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

6. विगत दो वर्षो में प्रकाशित पुस्तकों में से ही सामान्यत: पुस्तकों का चयन किया जायेगा, अर्थात वर्ष 2016 में वर्ष 2014 से पहले की प्रकाशित पुस्तकों पर विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, गौरव-ग्रन्थ या विरल गुणवत्ता सम्पन्न पुस्तकों के मामले में छूट दी जा सकती है। ऐसे मामलों में पुस्तक चयन समिति के चार सदस्यों से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है।

7. सामान्यत: भारत में प्रकाशित पुस्तकों तक ही चयन सीमित रहेगा। तथापि, भारतीय लेखकों द्वारा लिखित विदेशों में प्रकाशित पुरस्कार प्राप्त या उत्कृष्ट रूप से समीक्षित पुस्तकों के मामलों में छूट दी जा सकती है। ऐसे मामलों में पुस्तक चयन सीमित के चार सदस्यों से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है।

8. सामान्य पुस्तकों के मामले में, श्रेणीकृत छूट दिये जाने के बाद 1000/- रूपये या उससे कम की पुस्तकों का चयन किया जायेगा। सन्दर्भ पुस्तकों के मामले में, श्रेणीकृत छूट के बाद इसकी

अधिकतम सीमा 1500/- रूपये होगी। छूट उसी शर्त पर दी जाएगी, जब पुस्तक चयन समिति के चार सदस्य इसका अनुमोदन करें।

9. दो से अधिक खण्डों को शामिल कर अनेक खण्डों में प्रकाशित सन्दर्भ पुस्तकें केवल विरल मामलों में चयनित होगी, वह भी पुस्तक चयन समिति के चार सदस्यों की सिफारिश पर अध्यक्ष के अनुमोदन से। वैसी पुस्तकों के सेट को राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों एवं अन्य ख्यातिलब्ध पुस्तकालयों में आपूर्ति किया जायेगा, जिन्हें प्रतिष्ठान द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो।

10. प्रतिष्ठान से संबद्व सदस्यों या कर्मचारियों द्वारा लिखित, सम्पादित या प्रकाशित पुस्तकें उनके कार्यकाल के दौरान नहीं चयनित होगी। तथापि, यदि वह पुस्तक प्रतिष्ठान के किसी आयोजन अथवा कार्यकलाप से घनिष्ठ रूप से संबंधित हो या वह पुस्तक एक गैर लाभकारी संगठन या एक सरकारी संगठन (केन्द्रीय या राज्य) के द्वारा प्रकाशित हो, जहाँ प्रतिष्ठान का सदस्य प्रकाशन से संबद्व हो तो अपवाद स्वरूप इस पर विचार किया जा सकता है।

11. पुस्तक चयन समिति का कोई सदस्य उस चर्चा में भाग नहीं लेगा, जब उनसे सम्बन्धित किसी पुस्तक पर चर्चा हो रही हो, जिसके प्रकाशन से वे सम्बद्व हों।।

12. अच्छी पुस्तकों के चयन और वैसी पुस्तकें चयन से वंचित न हो जाएं, इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रतिष्ठान अपने डाटाबेस में सूचीबद्व प्रकाशकों से अपनी नवीनतम पुस्तक सूची जमा करने का अनुरोध करेगा। इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठान अपने वेबसाइट के माध्यम से भी प्रकाशकों को पुस्तक सूची जमा करने का अनुरोध करेगा। प्रत्यक्ष रूप में पुस्तकों को प्रस्तुत किया जाना सामान्य प्रक्रिया है।

13. पुस्तक चयन समिति के पास यह अधिकार है कि बिना कारण दर्शायें वह किसी पुस्तक का चयन करे या न करे और किसी प्रकाशक को निर्धारित मापदंडों के उल्लंघन या संदिग्ध प्रचेष्टा में शामिल होने के कारण इस योजना में भाग लेने से मना भी कर दें।

14. प्रतिष्ठान अपने सदस्यों को इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि वे अपने संबंधित राज्यों या क्षेत्रों में आयोजित पुस्तक प्रदर्शनियों का दौरा करें और पुस्तक चयन समिति के विचारार्थ पुस्तकें संस्तुत करें।

15. सामान्यत: किसी निजी प्रकाशक की 25 से अधिक पुस्तकें, न्यास / गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) से 30 तथा सरकारी / अर्ध-सरकारी प्रकाशक से 50 से अधिक पुस्तकें एक बार में किसी बैठक में विचार के लिए स्वीकृत नहीं की जाएगी।

16. सामान्यतया किसी पुस्तक चयन समिति की बैठक में चयनित न की गयी कोई पुस्तक पर परवर्ती बैठकों में विचार नहीं किया जायेगा। तथापि, अपवाद स्वरूप यदि पुस्तक चयन समिति के कम से कम चार सदस्यों का अनुमोदन हो, तो ऐसा किया जा सकता है।

17. पुस्तकों का पुनर्मुद्रण सामान्यतया स्वीकार्य नहीं होगा। तथापि, कला और बहु पठनीय पुस्तकों के मामले में अपवाद स्वरूप ऐसा किया जा सकता है। उक्त मामलों में पुस्तक चयन समिति के चार सदस्यों से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

18. चयनित पुस्तकों की नमूना प्रतियाँ रखी जाएगी और प्रतिष्ठान द्वारा भविष्य में संदर्भ के लिए रखी जाएंगी। अन्तिम चयनित सूची के प्रकाशन से तीस दिनों के अन्दर प्रकाशकगण अचयनित पुस्तकों का संग्रह प्रतिष्ठान से कर सकते हैं।

19. यदि उपरोक्त पैरा-18 पर निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रकाशक द्वारा पुस्तकें संग्रहित नहीं की जाती है, तो प्रतिष्ठान उन पुस्तकों को उपयुक्त सार्वजनिक पुस्तकालयों या अन्य पुस्तकालयों को दान स्वरूप दे सकता है।

20. योजना के अन्तर्गत चयनित अधिकांश पुस्तकें निम्नलिखित विषय समूहों में से एक अथवा अन्य की होंगी, फिर भी उचित होने पर इन विषय समूहों से अन्य पुस्तकों का भी चयन किया जा सकता है।

प्रतियोगी परीक्षा गाइड, करियर गाइड, सामान्य ज्ञान
विज्ञान प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर, औषधि, कृषि, पर्यावरण, स्वास्थ्य, पुस्तकालय विज्ञान इत्यादि
जीवनियाँ, शब्दकोश, निर्देशिकाएँ, अब्दकोश, रिपोर्ट, पाठ्यक्रम, पुस्तकें, मानचित्र, विश्व शब्द कोश, पंचांग, नियम पुस्तिकाएँ, इत्यादि
इतिहास, भूगोल,यात्रा, पर्यटन, राजनीति शास्त्र, सामाजिक विज्ञान, लिंग अध्ययन इत्यादि
कला, साहित्य, संस्कृति, भाषा
खेल – कूद
बाल साहित्य

अर्थनीति, व्यापार अध्ययन, उद्योग, प्रबंधन, व्यापार एवं वाणिज्य, विधि
धर्म, दर्शन, योगा, जीवन कला, खगोल विज्ञान, वास्तु, जीवन शैली, प्रेरणा, प्रोत्साहन, मनोविज्ञान, परामर्श इत्यादि
गल्प
पूर्वोत्तर भारत

21. योजना के अन्तर्गत पुस्तकें खरीदते समय, प्रतिष्ठान निम्नानुसार श्रेणीबद्व छूट का अनुसरण करेगा। ऐसी दरें प्रकाशकों को नमूना प्रति माँगते समय सूचित कर दी जाएंगी।

प्रतियों की संख्या	छूट दर
01-100	30 प्रतिशत
101-500	35 प्रतिशत
501 और इससे अधिक	40 प्रतिशत

प्रशासनिक प्रक्रिया

22. बिना ISBN के पुस्तक को चयन के लिए विचार नहीं किया जायेगा।

23. एक पुस्तक जिसमें कि पुस्तक के अन्दर फोलियों शीर्ष के रूप में पुस्तक का शीर्षक उल्लखित नहीं है, उस पुस्तक को चयन के लिए विचार नहीं किया जायेगा।

24. केवल ऐसे व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत की गयी पुस्तकों पर विचार किया जायेगा, जो प्रस्तुत करते हों (क) पैन (PAN) की एक साक्ष्यांकित प्रति (ख) तथा इस आशय का एक घोषणा कि पुस्तक की एक-एक प्रति विधि द्वारा नामोदिष्ट चार पुस्तकालयों में भेज दिया गया है।

25. एक पैन (PAN) केवल एक व्यक्ति के लिए मान्य होगी, जो पुस्तकों को प्रस्तुत करते हैं।

26. सामान्यत: क्रय की गयी पुस्तकों के लिए भुगतान इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर जैसे आर. टी. जी. एस. (RTGS) इत्यादि के माध्यम से किया जायेगा।

27. पुस्तकें जो अत्यधिक मूल्य की हैं (पृष्ठों की संख्या, कागज का मूल्य, मुद्रण एवं बंधन इत्यादि को ध्यान में रखकर), उस पर विचार नहीं किया जा सकता है।

28. प्रत्येक पुस्तक के एक उपयुक्त स्थान पर लेखक के संक्षिप्त परिचय के साथ उनका पता, दूरभाष संख्या एवं ई. मेल आई. डी. यदि कोई हो, तो वह होना चाहिए।

29. रामकृष्णन मिशन, इस्कोन, गीता प्रेस, चिन्मय मिशन इत्यादि जैसे संगठन जो व्यक्तियों के दानों पर चलता है अथवा लाभ के लिये उसे नहीं चलाया जाता है, के द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के मामले में उपरोक्त पैरा–21 में उल्लिखित श्रेणीबद्व छूट से ऐसे संगठनों को अध्यक्ष छूट देने का आदेश दे सकते हैं। ऐसे संगठन किसी भी रूप में कोई कटौती के बिना मुद्रित मूल्य पर भुगतान पाने के हकदार होंगे।

30. 1000/- रूपये अथवा 1500/- रूपये मूल्य की पुस्तकें जैसा कि उपरोक्त पैरा–8 में उल्लिखित है तथा पैरा-9 में उल्लिखित कई खण्डों की पुस्तकों को ऐसे पुस्तकालयों में आपूर्ति किया जायेगा, जिनका नाम अध्यक्ष के द्वारा चयनित पुस्तकालयों की सूची में शामिल है।

31. प्रतिष्ठान अंग्रेजी और हिन्दी के प्रकाशकों का बृहत डॉटाबेस विकसित करेगा और इसे बनाये रखेगा, जिसमें सम्पर्क विवरण के साथ आवश्यक सभी अद्यतन विवरण दिये जायेंगे। इन सूचियों की प्रतियाँ पुस्तक चयन समिति के सदस्यों को दी जाएगी।

32. प्रकाशकों की पुस्तक सूची प्रकाशकों के नाम वर्णक्रमानुसार व्यवस्थित की जाएगी और पुस्तक चयन समिति के सदस्यों को दी जाएगी।

33. प्रतिष्ठान द्वारा प्राप्त पुस्तकों की नमूना प्रतियाँ विषयवार व्यवस्थित की जाएंगी ताकि उपसमितियों के सदस्यों तथा पुस्तक चयन समिति के सदस्यों के लिए सहज-सुलभ हो सके।

34. प्रतिष्ठान के आधिकारिक चयनित पुस्तकों की छान-बीन करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि चयन योजनाओं के अनुसार हों। यदि उन्हें किसी प्रकार की विसंगति मिलती है, तो वैसी पुस्तकें अलग कर दी जाएंगी और उसे अध्यक्ष के समक्ष आवश्यक आदेश के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

35. यदि पुस्तक चयन समिति के द्वारा चयनित पुसतकों की कुल कीमत प्रतिष्ठान को उपलब्ध बजट से अधिक की है तो अध्यक्ष कुछ शीर्षकों को सूची से हटा सकतें हैं अथवा पुस्तक चयन समिति की एक विशेष बैठक बुला कर सूची में काँट-छाँट करेंगे और कुल लागत सीमा के भीतर रखी जाएगी।

36. प्रतिष्ठान एक वित्तीय वर्ष में पुस्तकों के लिए दो बार आदेश जारी करने का प्रत्येक प्रयास करेगा।

37. अन्तिम रूप में अंग्रेजी और हिन्दी में चयनित पुस्तकों की सूची पृथक रूप से तैयार की जाएगी, प्रकाशकवार व्यवस्थित की जाएगी, जिसमें विवरण जैसे: लेखक, शीर्षक, वर्ष, कीमत, आदेश के

लिए संस्तुत प्रतियों की संख्या का उल्लेख होगा। यह सूची पुस्तक चयन समिति के सदस्यों के बीच परिचालित कर दी जाएगी।

38. पुस्तकों की प्रस्तुती के समय प्रकाशकों को इस आशय का एक प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत करना होगा कि पुस्तक पुनर्मुद्रित, साहित्यिक चोरी नहीं है और ।SBN नम्बर वास्तविक है।

39. प्रतिष्ठान संविदागत कर्मियों को नियुक्त कर डॉटा इंट्री कार्य और पुस्तकों के सूचीकरण जैसे अतिरिक्त कार्य करवा सकता है, क्योंकि नयी योजना में नयी विधियाँ और प्रक्रियाएँ बतायी गयी है।

40. चयन की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त चयनित पुस्तकों के शीर्षकों की एक सूची प्रतिष्ठान के वेबसाइट में प्रदर्शित कर दिया जायेगा, जब तक कि एक नया चयन नहीं होता है।

41. आर. आर. आर. एल. एफ. चयन के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले पुस्तकों की सूची को तैयार करते समय ।SBN को दर्ज करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि एक ही शीर्षक को एक बार से अधिक विचार के लिए नहीं प्रस्तुत किया गया है।

42. आर. आर. आर. एल. एफ. ई. मेल अथवा अन्य रूप से लेखक को यह सूचित करने का प्रयास करेगा कि उनके पुस्तक का चयन किया गया है।

टिप्पण :

केन्द्रीय चयन योजना 2016, 01 अप्रैल 2016 से संचालन में रहेगा तथा यह उन सभी पुस्तकों पर लागू होगा जो 1 मार्च, 2016 को अथवा उसके बाद प्रस्तुत किया जायेगा।